

## पेंशन योजना

### i. योजना के प्रावधान:

बोर्ड द्वारा निबंधित लाभुकों को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 500/— प्रतिमाह पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। पाँच वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए 25/— रुपये की वृद्धि देय होगी।

### ii. योजना के लिए पात्रता:

1. 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
2. लाभुक द्वारा तीन वर्ष तक अंशदान किया हो

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 01 लाभुक को योजनान्तर्गत आच्छादित किया गया है।